रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 997] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 2010/वैशाख 30, 1932
No. 997] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2010/VAISAKHA 30, 1932

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2010

(आयकर)

का.आ. 1207(अ).—जबकि आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार के बीच करार एवं प्रोतोकोल पर दिनांक 15 जनवरी, 2010 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे;

और, जबकि उक्त करार के प्रवृत्त होने की तारीख 19 अप्रैल, 2010 है, जोकि उपर्युक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 के अनुसार उक्त करार को प्रवृत्त करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथाअपेक्षित प्रक्रियाओं के पूरा होने के पश्चात् जारी अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना के तीस दिन बाद की तारीख है;

और, जबकि उपर्युक्त करार के अनुच्छेद 29 के पैराग्राफ 2 के उप-पैराग्राफ (ख) में यह व्यवस्था है कि उक्त करार के उपबंध उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष, जिसमें करार लागू होता है, के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके पश्चात् अदा की गई अथवा क्रेडिट की गई राशियों के लिए स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में भारत में लागू होंगे तथा आय पर करों के संबंध में, उस वर्ष के अगले अनुवर्ती कैलेण्डर वर्ष जिसमें करार लागू होता है, के अप्रैल माह की पहली तारीख को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए लागू होंगे;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उक्त करार एवं प्रोतोकोल के सभी उपबंध, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुबंध में निर्धारित है, 1 अप्रैल, 2011 से भारत संघ में लागू किए जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 36/2010/फा. सं. 501/13/1980-विक.प्र.-I]

संजय कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

अनुबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

और

फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार

के बीच करार

फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए तथा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक करार निष्पन्न करने की इच्छा से,

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई है :

अनुच्छेद - 1

शामिल व्यक्ति

यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों के निवासी हैं ।

अनुच्छेद - 2

शामिल कर

1. यह करार किसी संविदाकारी राज्य अथवा इसके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आय पर लगाए गए करों के संबंध में लागू होगा, चाहे वे किसी भी तरह से लगाए जाएं ।

2. चल अथवा अचल सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर लगाए गए करों और उद्यमों द्वारा प्रदत्त मजदूरी अथवा वेतनों की कुल राशियों पर करों सहित कुल आय अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए सभी करों को आय पर लगाए गए करों के रूप में माना जाएगा ।

3. जिन मौजूदा करों पर यह करार लागू होगा, वे हैं :-

(क) फिनलैण्ड में,

(i) राज्य आयकर (वालशन टुलोवेरोट; डी स्टेटलिगा इनकोमसकेट्टेरना);

(ii) निगम आयकर (हिंटियोसोजन टुलोवेरो; इनकोमस्टेकेट्टन सेमफंड);

(iii) सामुदायिक कर (कुननेलिसवेरो ; कोमुनलसकेट्टन);

(iv) चर्च कर (किरकोलिसवेरो; कयोरकोसकेट्टन);

(v) ब्याज से स्रोत पर रोका गया कर (कोरकुटोलोने लाहडीवेरों कालसकेटन या रेन्टीनकोम्स);

(vi) अनिवासियों की आय से स्रोत पर रोका गया कर (रजोइटवुस्ती वेरोवेलवोलिसेन लाहडिवेरो; कालसकेट्टन फॉर बिगरनसत स्काटस्काई डिग);

(जिसे इसके बाद "फिनिश कर" कहा जाएगा) ;

(ख) भारत में, आयकर, जिसमें उस पर लगने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;

(जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा जाएगा) ।

4. यह करार किसी भी समरूप अथवा तत्वतः समान करों पर भी लागू होगा जो करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएगें । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध में एक दूसरे को अधिसूचित करेंगे जो उनके अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए है ।

अनुच्छेद - 3

सामान्य परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "फिनलैण्ड" पद से अभिप्रेत है - फिनलैण्ड गणराज्य और जब इसका प्रयोग भौगोलिक अर्थ में किया जाता है, तब इसका आशय फिनलैण्ड गणराज्य के भूक्षेत्र और फिनलैण्ड गणराज्य के राज्यक्षेत्रीय समुद्र से जुड़े अन्य क्षेत्र जिनके अन्तर्गत फिनलैण्ड के कानूनों के अन्तर्गत और

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार समुद्री तल और इसकी अवमृदा और इसके ऊर्ध्ववर्ती जल के लिए प्राकृतिक संसाधनों की खोज और इसके दोहन के संबंध में फिनलैण्ड द्वारा अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) "भारत" पद से अभिप्रेत है - भारत गणराज्य का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र तथा इसके साथ समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय सहित कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है, जिस पर भारतीय कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हो ;

(ग) "व्यक्ति" पद में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों का कोई समूह और कोई अन्य ऐसी सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त करधान कानूनों के अंतर्गत एक करधेय इकाई के रूप में माना जाता हो ;

(घ) "कम्पनी" पद से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है ;

(ड.) "एक संविदाकारी राज्य" और "दूसरा संविदाकारी राज्य" पदों का अर्थ संदर्भ की अपेक्षानुसार फिनलैण्ड गणराज्य अथवा भारत गणराज्य है ;

(च) "एक संविदाकारी राज्य का उद्यम" तथा "दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम" पद से क्रमशः एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई उद्यम अभिप्रेत है ;

(छ) किसी संविदाकारी राज्य के संबंध में "राष्ट्रिक" पद से अभिप्रेत है :

(i) किसी संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यष्टि ;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्थान, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो ;

(ज) "अंतरराष्ट्रीय यातायात" पद से अभिप्रेत है, किसी ऐसे जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा संचालित हो, सिवाए उस स्थिति के जब जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थानों के बीच ही चलाया जाता है ;

(झ) "सक्षम प्राधिकारी" पद से अभिप्रेत है :

(i) फिनलैण्ड में, वित्त मंत्रालय, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राधिकारी जो वित्त मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है ;

(ii) भारत में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा, उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ;

(ञ) "कर" पद से संदर्भ के अनुसार भारतीय कर अथवा फिनिश कर अभिप्रेत है, परन्तु इसमें ऐसी कोई रकम शामिल नहीं होगी, जो उन करों के संबंध में किसी भूल अथवा चूक के संदर्भ में देय हो, जिन पर यह करार लागू होता हो अथवा उन करों के संबंध में लगाए गए अर्थदंड अथवा जुर्माने का द्योतक हो ;

(ट) "वित्त वर्ष" पद से अभिप्रेत है :

(i) फिनलैण्ड में, "कर वर्ष" जो आयकर के संबंध में फिनलैण्ड के कराधान कानूनों में परिभाषित किया गया है ;

(ii) भारत में, अप्रैल माह की पहली तारीख को प्रारम्भ वित्तीय वर्ष ;

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा जहां तक इस करार को किसी भी समय लागू किए जाने का प्रश्न है, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उसमें अपरिभाषित किसी शब्द का वही अर्थ होगा जो उस करों के प्रयोजनों के लिए उस राज्य, जिस पर यह करार लागू होता है, के कानूनों के अंतर्गत उस समय होता है और यह अर्थ उस राज्य के किन्हीं अन्य कानूनों के अंतर्गत लगाए गए अर्थ पर प्रभावी होगा जो उस राज्य के कर कानूनों के अंतर्गत लगाए जाते हैं ।

अनुच्छेद - 4

निवासी

1. इस करार के प्रयोजनार्थ "एक संविदाकारी राज्य का निवासी" पद का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिस पर उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसके अधिवास, निवास,

प्रबन्ध-स्थान, समावेश का स्थान (पंजीकरण) अथवा किसी ऐसे ही कारण से कर लगाया जा सकता है और इसमें वह राज्य और इसका कोई राजनयिक उप-प्रभाग अथवा सांविधिक निकाय अथवा उसका स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है । तथापि, इस पद में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा जिस पर केवल उस राज्य में स्थित स्रोतों से होने वाली आय पर उस राज्य में कर लगाया जा सकता है ।

2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यक्ति दोनों ही संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, वहां उसकी हैसियत निम्नानुसार तय की जाएगी :

क) उसे केवल उसी राज्य का निवासी माना जाएगा जहां उसे एक स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो; यदि उसे दोनों ही राज्यों में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा, जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध घनिष्ठतर हैं (महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र) ;

ख) यदि उस राज्य का जिसमें उसके महत्वपूर्ण हित निहित हैं, निर्धारण नहीं किया जा सकता हो अथवा यदि उसको दोनों राज्यों में से किसी भी राज्य में कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध नहीं हो, तो वह उस राज्य का एक निवासी माना जाएगा जिसमें वह आदतन रहता हो ;

ग) यदि वह आदतन दोनों ही राज्यों में रहता हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य में नहीं रहता हो, तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसका वह एक राष्ट्रिक है ;

घ) यदि वह दोनों ही राज्यों का राष्ट्रिक हो अथवा उनमें से किसी भी राज्य का राष्ट्रिक नहीं है तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा इस प्रश्न का निर्णय करेंगे ।

3. जहाँ इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो, तो वहाँ संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी आपसी सहमति से उस राज्य का निर्धारण करेगें जिसका वह व्यक्ति समावेश के स्थान, प्रभावी प्रबंध स्थान और ऐसे अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर इस करार के प्रयोजनार्थ वहां का निवासी माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 5

स्थायी संस्थापन

1. इस करार के प्रयोजनो के लिए 'स्थायी संस्थापन' पद का आशय कारोबार के उस निश्चित स्थान से है, जिसके द्वारा किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः किया जाता है ।

2. 'स्थायी संस्थापन' पद में विशेषतया निम्नलिखित शामिल होंगे :

(क) प्रबंध का कोई स्थान ;

(ख) कोई शाखा ;

(ग) कोई कार्यालय;

(घ) कोई कारखाना ;

(ङ) कोई कार्यशाला ;

(च) कोई बिक्री बाजार ;

(छ) किसी व्यक्ति से संबंधित कोई भाण्डागार, जो दूसरों को भण्डारण सुविधाएं मुहैया कराता हो ;

(ज) कोई फार्म, बागवानी अथवा अन्य स्थान जहां कृषि, वानिकी, बागवानी अथवा इससे संबंधित कार्यकलाप किए जाते हों ; और

(झ) कोई खान, तेल अथवा गैस का कुआँ, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई अन्य स्थान ।

3. पद 'स्थाई संस्थापन' में निम्नलिखित सम्मिलित किए गए हैं :

(क) कोई भवन-स्थल अथवा निर्माण, प्रस्थापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा उससे संबंधित पर्यवेक्षी कार्यकलाप तभी एक स्थायी संस्थापन बनेगा यदि ऐसा भवन स्थल, परियोजना अथवा कार्यकलाप 6 महीने से अधिक समय तक चले ।

(ख) सेवाएं प्रस्तुत करना, जिसमें इस प्रयोजन हेतु उद्यम में लगे कर्मचारियों अथवा अन्य कार्मिकों के माध्यम से किसी उद्यम की परामर्शी सेवाएं

शामिल हैं, परन्तु यह केवल उन्हीं सेवाओं के लिए होंगी जहां उस स्वरूप के क्रियाकलाप किसी 12 महीने की अवधि के भीतर कुल मिला कर 183 दिनों से अधिक की अवधि या अवधियों के लिए देश के भीतर जारी रहती हों (उसी अथवा संबद्ध परियोजना हेतु) ।

4. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी 'स्थायी संस्थापन' पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं समझा जाएगा :

(क) उस उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य-वस्तुओं के मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ सुविधाओं का इस्तेमाल करना ;

(ख) मात्र भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ उद्यम से संबंधित माल अथवा पण्य वस्तुओं के किसी स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(ग) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य-वस्तुओं के स्टॉक का रख-रखाव करना ;

(घ) उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुओं का केवल क्रय करने के लिए अथवा सूचना एकत्र करने के लिए कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना ;

(ङ.) उद्यम के लिए प्रारम्भिक अथवा सहायक स्वरूप के किसी अन्य कार्यकलाप को चलाने के लिए कारोबार के लिए निश्चित स्थान का रख-रखाव करना;

(च) उप-पैराग्राफ (क) से (ङ.) तक में उल्लिखित केवल किन्हीं मिले-जुले कार्य-कलापों के संयोजन के लिए व्यवसाय के किसी निश्चित स्थान का रख-रखाव करना, बशर्ते कि इस संयोजन के परिणामस्वरूप कारोबार के निश्चित स्थान के समस्त कार्यकलाप किसी प्रारम्भिक या सहायक स्वरूप के हों ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, जहां किसी स्वतंत्र हैसियत के किसी अभिकर्ता, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न कोई व्यक्ति अन्य संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से एक संविदाकारी राज्य में कार्य करता है, को उन कार्यकलापों के संबंध में, जिन्हें उक्त व्यक्ति उद्यम के लिए करता है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थापन का होना माना जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को :

(क) उस उद्यम के नाम से उस राज्य में संविदाएं सम्पन्न करने का प्राधिकार प्राप्त हो और वह आदतन उस प्राधिकार का प्रयोग भी करता हो, जब तक कि ऐसे व्यक्ति की गतिविधियां पैराग्राफ 4 में उल्लिखित उन गतिविधियों तक सीमित न हों, जिन्हें यदि वह कारोबार के एक निश्चित स्थान के माध्यम से प्रयोग करता है, उस पैराग्राफ के उपबंधों के अधीन कारोबार के इस निश्चित स्थान को एक स्थायी संस्थापन नहीं बनाएगा ; अथवा

(ख) ऐसा कोई प्राधिकार प्राप्त नहीं हो, किन्तु वह फिर भी आदतन प्रथमोल्लिखित राज्य में ऐसे माल अथवा पण्य-वस्तुओं का स्टॉक रखता हो जिसमें से वह उद्यम की ओर से माल अथवा पण्य-वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता हो ;

(ग) स्वयं, उद्यम के लिए पूर्णतया अथवा लगभग पूर्णतया प्रथोल्लिखित राज्य में आदतन कार्य का आर्डर प्राप्त करता हो ।

6. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम को पुनः बीमा करने के मामले को छोड़कर, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना तभी माना जाएगा, यदि वह स्वतंत्र हैसियत वाले किसी एजेंट, जिस पर पैराग्राफ 7 लागू होता हो, से भिन्न किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से उस अन्य राज्य के क्षेत्र में बीमे का प्रीमियम एकत्र करता है अथवा वहां स्थित जोखिमों का बीमा करता है ।

7. किसी उद्यम का किसी संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण कोई स्थायी संस्थापन का होना नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों । तथापि, जब ऐसे किसी एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा लगभग पूर्णतः उस उद्यम की ओर से किए जाते हों, तो उसे इस पैराग्राफ के अभिप्राय के अंतर्गत स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा ।

8. यह तथ्य कि कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, अथवा किसी ऐसी कम्पनी को नियंत्रित करती है अथवा किसी ऐसी कम्पनी द्वारा नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा जो उस दूसरे राज्य में (चाहे किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा) कारोबार करती है, को उन दोनों में से किसी कम्पनी को स्वतः ही दूसरे का स्थायी संस्थापन नहीं माना जाएगा ।

अनुच्छेद - 6

अचल सम्पत्ति से आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति (कृषि अथवा वानिकी से आय समेत) से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा ।

2. 'अचल सम्पत्ति' पद का अर्थ वही होगा जो उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उसका अर्थ है, जिसमें विचाराधीन सम्पत्ति स्थित है । इस पद में, किसी भी हालत में, ये शामिल होंगे - अचल सम्पत्ति के अवसाधन के रूप में सम्पत्ति,कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर, ऐसे अधिकार जिन पर भू-सम्पत्ति संबंधी सामान्य कानून के उपबंध लागू होते हों, अचल सम्पत्ति को भोगने के अधिकार और खनिज भण्डार, स्रोत तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अथवा दोहन के अधिकार के प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत अदायगियों के अधिकार ; जलयान, नौकाएं और वायुयान अचल सम्पत्ति के रूप में नहीं माने जाएंगे ।

3. पैराग्राफ 1 के उपबंध, अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराये पर देने अथवा इसके किसी अन्य प्रकार के प्रयोग से उद्भूत होने वाली आय पर भी लागू होंगे ।

4. जहां किसी कम्पनी में शेयरों अथवा अन्य निगम अधिकारों के स्वामित्व, कम्पनी द्वारा धारित अचल सम्पत्ति को भोगने के लिए ऐसे शेयरों अथवा सामुदायिक अधिकारों के स्वामी को पात्र बनाते हैं, तो वहां भोगने के ऐसे अधिकार के प्रत्यक्ष उपयोग, उसे किराए पर देने अथवा किसी अन्य स्वरूप में उसके प्रयोग से प्राप्त आय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकता है जहां पर यह अचल सम्पत्ति स्थित है ।

5. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध, किसी उद्यम की अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयुक्त अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय पर भी लागू होंगे।

अनुच्छेद - 7

कारोबार से लाभ

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभों पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता हो । यदि उक्त उद्यम उपर्युक्त

तरीके से कारोबार करता हो तो उस उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, किन्तु उसके लाभों के केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा जो उस स्थायी संस्थापन को प्राप्त हुए माने जाएंगे ।

2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो, वहां प्रत्येक संविदाकारी राज्य में ऐसे स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभ, वे लाभ माने जाएंगे जिनके होने की संभावना तब होगी जब एक समान या उससे मिलती-जुलती परिस्थितियों में एक समान या उससे मिलते-जुलते कार्यकलापों में लगा हुए कोई अलग और भिन्न उद्यम हो और वे उस उद्यम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता है जिसका यह एक स्थायी संस्थापन है ।

3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों के निर्धारण करने में, उस राज्य के कानूनों के उपबंधों और उसकी सीमाओं के अध्यधीन उन खर्चों की कटौती की अनुमति दी जाएगी, जो उस स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ खर्च किए जाते हैं, जिनमें इस प्रकार लगाए गए कार्यकारी एवं सामान्य प्रशासनिक व्यय भी शामिल हैं, भले ही वे उस राज्य में किए गए हों, जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यत्र किए गए हों । तथापि, स्थायी संस्थापन द्वारा राशियों के संबंध में उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किन्हीं अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा कमीशन के रूप में, निष्पादित विशिष्ट सेवाओं के लिए अथवा प्रबंधन के लिए अथवा बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर, स्थायी संस्थापन को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न) यदि कोई हों, और अदा की गई हों तो उसके संबंध में ऐसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार एक स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण करने में उस रकम को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जो स्थायी संस्थापन द्वारा उद्यम के प्रधान कार्यालय को अथवा इसके किसी अन्य कार्यालयों को पेटेंटों, जानकारी अथवा अन्य अधिकारों के प्रयोग के बदले में रायल्टियों, फीसों अथवा इसी तरह की अन्य अदायगियों के रूप में अथवा निष्पादित विशेष सेवाओं अथवा प्रबंधन के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंकिंग उद्यम के मामले को छोड़कर उद्यम अथवा इसके किसी अन्य कार्यालय के कार्यालय प्रमुख को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में (वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति से भिन्न व्यय) राशियाँ प्रभारित की गई हों ।

4. जहां एक संविदाकारी राज्य में उद्यम के कुल लाभ को उसके विभिन्न भागों में प्रभाजन के आधार पर एक स्थायी संस्थापन को होने वाले लाभ का निर्धारण करने की प्रथा हो, वहां पैराग्राफ 2 की कोई भी बात उस संविदाकारी राज्य में प्रचलित प्रभाजन पद्धति से

कर योग्य लाभ का कर निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी, तथापि, प्रभाजन के लिए अपनाई गई विधि ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांतों के अनुकूल में होगा ।

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी संस्थापन को हुआ नहीं माना जाएगा कि उस स्थायी संस्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पण्य-वस्तुएं खरीदी हैं ।

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ, स्थायी संस्थापन के कारण हुए लाभों को तब तक वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा, जब तक कि उसके विपरीत कोई ठोस तथा पर्याप्त कारण नहीं हो ।

7. जहां लाभों में आय की ऐसी मदें शामिल होती हैं जिनका इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, वहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अनुच्छेद के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे ।

अनुच्छेद - 8

जहाजरानी और वायु परिवहन

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त होने वाले लाभ केवल उसी राज्य में कराधेय होंगे ।

2. यदि किसी जहाजरानी उद्यम का प्रभावी प्रबंध-स्थान एक जलयान पर हो, तब इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसमें जलयान का घरेलू बन्दरगाह स्थित हो अथवा यदि उस संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई घरेलू बन्दरगाह न हो, तो इसे उस संविदाकारी राज्य में स्थित माना जाएगा जिसका जलयान का प्रचालक एक निवासी हो ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में माल अथवा पण्य-वस्तुओं के परिवहन के लिए प्रयोग किए जा रहे कंटेनरों के प्रयोग, अनुरक्षण अथवा उन्हें किराये पर देने (जिसमें कंटेनरों के परिवहन के लिए ट्रेलर, बार्जिस और अन्य उपस्कर शामिल हैं) से संविदाकारी राज्य के उद्यम को प्राप्त लाभ केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगे । सिवाय इसके जब ऐसे कंटेनरों का उपयोग दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थानों के बीच केवल माल अथवा पण्य वस्तुओं के परिवहन के लिए किया जाता है ।

4. इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा

वायुयानों के प्रचालन से सीधे संबद्ध निधियों पर ब्याज को ऐसे जलयानों अथवा वायुयानों के प्रचालन से प्राप्त लाभ समझा जाएगा यदि वे ऐसा व्यवसाय करने के लिए एकीकृत है और अनुच्छेद 11 के उपबंध ऐसे ब्याज के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

5. पैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी पूल में भागीदारी, किसी संयुक्त उद्यम अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय प्रचालन एजेंसी में प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 9

सहयोगी उद्यम

1. जहां

(क) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है ; अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध, नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं ;

और दोनों में से किसी भी अवस्था में किन्हीं उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हैं जो उन शर्तों से भिन्न हैं, जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाएगी तो ऐसा कोई भी लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता, किन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ, तो वे लाभ उस उद्यम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर तद्नुसार कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां एक संविदाकारी राज्य उस राज्य के किसी उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है और तद्नुसार कर लगाता है जिस पर दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है और उसमें सम्मिलित किए गए लाभ ऐसे लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि दोनों उद्यमों के बीच लगाई गई शर्तें उस तरह की होतीं जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच लगाई गई होती, तब वह दूसरा राज्य उन लाभों पर उसमें प्रभारित कर की राशि के बराबर समुचित समायोजन करेगा जहां वह अन्य राज्य इस समायोजन को उचित समझे । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित करने में इस करार के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप से ध्यान में

रखना होगा और यदि आवश्यक हो, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी एक दूसरे के साथ परामर्श करेंगे ।

अनुच्छेद - 10

लाभांश

1. एक संविदाकारी राज्य की निवासी किसी कम्पनी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे ।

2. तथापि, ऐसे लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है, परन्तु यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार लगाया जाने वाला कर लाभांशों की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

यह पैराग्राफ उन लाभों के संबंध में कंपनी के कराधान को प्रभावित नहीं करेगा, जिसमें से लाभांश अदा किए गए हैं ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त "लाभांश" पद का अभिप्राय शेयरों अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय से है जो लाभ की भागीदारिता के ऋण के दावे न हों, और अन्य निगमित अधिकारों से प्राप्त आय से है जिस पर वही कराधान व्यवस्था लागू होती है जो उस राज्य के कानूनों के अन्तर्गत शेयरों से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित एक स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, जिसकी लाभांश अदा करने वाली कम्पनी निवासी है अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं प्रदान करता है और जिस सम्पत्ति के संबंध में लाभांशों की अदायगी की जाती है वहां वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसी स्थिति में, अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14, जैसा भी मामला हो, के उपबंध लागू होंगे ।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी

राज्य से लाभ अथवा आय प्राप्त करती है, वहाँ दूसरा राज्य कम्पनी द्वारा अदा किए गए लाभांशों पर, किसी भी प्रकार का कर नहीं लगाएगा, जब तक कि ऐसे लाभांश उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को अदा किए जाते हों, अथवा जब तक कि जिस सम्पत्ति के बारे में लाभांशों की अदायगी की जाती हो, वह उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन या किसी नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबद्ध हो और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर कर लगाया जाएगा, चाहे अदा किए गए लाभांश अथवा अवितरित लाभपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उस दूसरे राज्य में उद्भूत होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में हों ।

अनुच्छेद- 11

ब्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार के ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में भी और उस राज्य के कानून के अनुसार कर लगाया जा सकेगा जिस राज्य में वह उद्भूत होता है, किन्तु यदि ब्याज का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तो इस प्रकार प्रभारित कर, ब्याज की सकल रकम के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3. पैराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी :

(क) भारत में उद्भूत होने वाला ब्याज केवल फिनलैण्ड में कराधेय होगा यदि ब्याज निम्नलिखित को अदा किया गया हो :-

(i) फिनलैण्ड गणराज्य राज्य की सरकार या उसका कोई स्थानीय प्राधिकरण या सांविधिक निकाय ;

(ii) औद्योगिक सहयोग के लिए फिनिश फंड (एफआईएनएनएफयूएनडी), फिनिश निर्यात क्रेडिट या फिनवेरा, जो फिनलैण्ड राज्य या किसी अन्य संस्थान द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः स्वामित्व प्राप्त हो, जिस पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच समय - समय पर सहमति हुई है ।

(ख) फिनलैण्ड में उद्भूत होने वाला ब्याज केवल भारत में कराधेय होगा यदि ब्याज निम्नलिखित को अदा किया गया है :-

(i) भारत सरकार या उस का कोई राजनीतिक उप प्रभाग या स्थानीय प्राधिकरण या कोई सांविधिक निकाय ;

(ii) भारतीय रिजर्व बैंक, जो भारत निर्यात-आयात बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक, जो भारत सरकार या किसी अन्य संस्थान द्वारा पूर्णतः या मुख्यतः स्वामित्व प्राप्त है जिस पर समय-समय पर दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के बीच सहमति हुई हो ।

(ग) उप पैराग्राफ (क) या उप पैराग्राफ (ख) में वर्णित अथवा उल्लिखित या निकायों में से किसी के द्वारा गारंटी दिए गए ऋण पर किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत तथा अन्य संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किए गए ब्याज पर केवल उस दूसरे राज्य में ही कर लग सकेगा ।

4. इस अनुच्छेद में यथा - प्रयुक्त "ब्याज" शब्द से अभिप्रेत है - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों से प्राप्त आय, चाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हो अथवा नहीं और चाहे उन्हें ऋण-दाता के लाभों में भागीदारी का कोई अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं हो और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपत्रों अथवा डिबेंचरों से प्राप्त आय है जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंधपत्रों अथवा डिबेंचरों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार के साथ-साथ अन्य आय भी शामिल हो । विलम्बित अदायगी के लिए अर्थदंड संबंधी प्रभारों को इस अनुच्छेद के लिए ब्याज नहीं समझा जाएगा ।

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे, यदि ब्याज का हितभागी स्वामी, एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें ब्याज उद्भूत हुआ हो, उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में, उसमे स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता हो और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

6. ब्याज किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ तभी माना जाएगा, जब ब्याज अदा करने वाला उस राज्य का निवासी हो । तथापि, जहां ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, किसी संविदाकारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान है और इस संबंध में ऋण जिस पर ब्याज प्रदत्त

किया गया था, इस प्रकार का ब्याज इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा अर्जन किया जाता है, तो इस प्रकार का ब्याज उस राज्य में उद्भूत हुआ माना जाएगा जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

7. जहां, ब्याज अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों के बीच तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष संबंध होने के कारण अदा की गई ब्याज की रकम, उस ऋणदावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके संबंध में इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा करने वाले और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम रूप से वर्णित रकम पर ही लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों के अधिशेष भाग पर, इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जाएगा ।

अनुच्छेद - 12

रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस

1. एक संविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई रायल्टियों और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. तथापि, इस प्रकार की रायल्टियाँ और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर उस संविदाकारी राज्य में भी, जिसमें वे उद्भूत हुई हों, उस राज्य के कानूनों के अनुसार कर लगाया जा सकेगा, लेकिन यदि रायल्टियों का हितभागी स्वामी दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है तो इस प्रकार लगाया गया कर रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की सकल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

3.(क) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "रायल्टियां" शब्द का अभिप्राय है - किसी साहित्यिक, कलात्मक, अथवा वैज्ञानिक कृति के किसी कापीराइट, जिसमें सिनेमाटोग्राफ फिल्में अथवा रेडियो अथवा दूरदर्शन प्रसारण के लिए फिल्में अथवा टेपें शामिल हैं, किसी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन अथवा मॉडल, प्लान, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा किसी औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग हेतु अथवा प्रयोगाधिकार हेतु अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित सूचना के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां ।

(ख) इस अनुच्छेद में यथा-प्रयुक्त "तकनीकी सेवाओं के लिए फीस" पद का अभिप्राय है तकनीकी अथवा अन्य कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं को उपबंध सहित कोई प्रबंध-कार्य, या तकनीकी अथवा परामर्शी सेवाएं करने के प्रतिफल में की गई किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं, परन्तु इसमें इस करार के अनुच्छेद 14 तथा 15 में उल्लिखित सेवाओं के लिए की गई अदायगियां शामिल नहीं हैं ।

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस का हितभागी स्वामी, जो एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उद्भूत होती हैं, वहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां पर स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा की जाती है, वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान के साथ प्रभावी रूप से सम्बद्ध हैं । ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी मामला हो, लागू होंगे ।

5. एक संविदाकारी राज्य में रायल्टियां या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस तब उद्भूत हुई मानी जाएंगी, जब अदाकर्ता स्वयं वह राज्य, उस राज्य का कोई राजनैतिक उप-प्रभाग, एक स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो । तथापि, अधिकार अथवा सम्पत्ति जिस के लिए रायल्टियां अदा की गई है का किसी संविदाकारी राज्य में प्रयोग किया जाता है या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस किसी संविदाकारी राज्य के भीतर निष्पादित सेवाओं से संबंधित है तब ऐसी रायल्टियाँ अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिस में अधिकार या संपत्ति का प्रयोग किया गया है या सेवाएं निष्पादित की गई हैं । तथापि, जहां रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह किसी संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, उस संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई स्थायी संस्थापन अथवा कोई निश्चित स्थान हो, जिनके संबंध में रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस अदा करने की जिम्मेदारी निभाई गई हो, और ऐसी रायल्टियों या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन की जाती हो, तब ऐसी रायल्टियां अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस उस राज्य में उद्भूत हुई मानी जाएगी जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है ।

6. जहां, अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी के बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार का संबंध होने के कारण रायल्टियाँ प्रयोग, प्रयोगाधिकार या सूचना के संबंध में जिस के लिए वह अदा की जाती है, किसी भी कारण से उस राशि

से अधिक हो जाती है जिस पर ऐसे संबंधी की अनुपस्थिति में अदाकर्ता तथा हितभागी स्वामी द्वारा जिस पर सहमति हो गई होती, वहां इस अनुच्छेद के उपबंध केवल अंतिम वर्णित रकम पर लागू होंगे । ऐसे मामले में, अदायगियों का आधिक्य भाग इस करार के अन्य उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनों के अनुसार करयोग्य होगा ।

अनुच्छेद 13

पूंजीगत अभिलाभ

1. अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में उल्लिखित और दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति अथवा कंपनी में शेयर जिसकी परिसम्पत्तियों में मुख्यतया ऐसी सम्पत्ति शामिल है के अंतरण से एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से होने वाले अभिलाभ पर जो एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन की कारोबार संपत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी निश्चित स्थान से संबंधित ऐसी चल संपत्ति के अंतरण से प्राप्त होने वाले अभिलाभ पर जो संपत्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, जिसमें किसी ऐसे स्थायी संस्थापन (अकेले अथवा पूर्ण उद्यम के साथ) अथवा निश्चित स्थान के अंतरण से होने वाले अभिलाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानों अथवा वायुयानों अथवा इस प्रकार के जलयानों, वायुयानों के परिचालन से संबंधित, चल सम्पत्ति के अंतरण, से संविदाकरी राज्य के उद्यम द्वारा प्राप्त अभिलाभों पर केवल उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

4. किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा माल अथवा पण्य के परिवहन के लिए प्रयुक्त कंटेनरों के अंतरण से उद्भूत अभिलाभों (जिस में ट्रेलर्स, नौकाओं तथा कटेंनरों के अंतरण के लिए संबंधित उपस्कर शामिल है) पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा सिवाय जब ऐसे कंटेनरों का प्रयोग अन्य संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित केवल स्थानों के बीच माल अथवा पण्य के परिवहन के लिए किया जाता है ।

5. किसी ऐसी कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित शेयरों से भिन्न शेयरों के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर उस राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

6. इस अनुच्छेद में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी भी सम्पत्ति के अंतरण से प्राप्त अभिलाभों पर केवल उसी संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अंतरणकर्ता एक निवासी है ।

अनुच्छेद - 14

स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी, व्यक्ति द्वारा व्यावसायिक सेवाओं के निष्पादन अथवा इसी प्रकार के स्वतंत्र स्वरूप वाले अन्य कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा :

(क) यदि उसे अपने कार्य-कलापों के निष्पादन के प्रयोजनार्थ, दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है तो उस मामले में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर ही कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती है; अथवा

(ख) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की अवधि या अवधियां संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन अथवा इससे अधिक दिन हों, तो उस मामले में, आय के केवल उतने ही भाग पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जो उस दूसरे राज्य में उसके द्वारा निष्पादित कार्य-कलापों से प्राप्त हुई हो ।

2. "व्यावसायिक सेवाएं" पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, शैक्षिक अथवा अध्यापन संबंधी कार्य-कलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तु-विदों, दन्त चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतंत्र कार्य-कलाप शामिल हैं ।

अनुच्छेद - 15

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं

1. अनुच्छेद 16, 18, 19 और 20 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा, जब तक कि नियोजन का निष्पादन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया है। यदि ऐसा नियोजन किया गया है, तो जो पारिश्रमिक वहां से प्राप्त होता है, उस पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा, यदि :

(क) प्राप्तकर्ता संबंधित वित्तीय वर्ष में समाप्त अथवा प्रारंभ हुए किसी बारह महीने की ऐसी अवधि अथवा अवधियों के लिए दूसरे राज्य में रह रहा है जो कुल मिलाकर 183 दिनों से अधिक नहीं हैं ;

(ख) पारिश्रमिक, ऐसे किसी नियोजक द्वारा अथवा उसकी ओर से अदा किया गया है, जो दूसरे राज्य का निवासी नहीं है ; और

(ग) पारिश्रमिक, ऐसे किसी स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो नियोजक का दूसरे राज्य में रखता हो।

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय यातायात में किसी पोत अथवा वायुयान के प्रचालन पर किए गए नियोजन के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा।

अनुच्छेद - 16

निदेशकों की फीस

निदेशकों की फीस और इसी तरह की अन्य अदायगियों, जो एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी कंपनी जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है, के निदेशक मंडल के सदस्य या किसी कंपनी के किसी अन्य समान पद की हैसियत से प्राप्त की गई हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है।

अनुच्छेद - 17

कलाकार और खिलाड़ी

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता, जैसे कि कोई थियेटर, चलचित्र, रेडियो या दूरदर्शन कलाकार या किसी संगीतकार अथवा किसी खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविदाकारी राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा अपने इस प्रकार की हैसियत में किए गए वैयक्तिक कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त आय स्वयं मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो, अपितु किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो, ऐसी आय पर अनुच्छेद 7, 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, जिसमें मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी के कार्य-कलाप किए जाते हैं ।

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी मनोरंजनकर्त्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा संविदाकारी राज्य में किए गए अपने कार्य-कलापों से प्राप्त आय पर लागू नहीं होंगे यदि उस राज्य में किया गया दौरा दूसरे संविदाकारी राज्यों या उसके राजनीतिक उप-प्रभाग या उसके स्थानीय प्राधिकारियों की सार्वजनिक निधियों द्वारा पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित हों । ऐसे मामले में, उस आय पर अनुच्छेद 7 या अनुच्छेद 14 अथवा अनुच्छेद 15, जैसा भी मामला हो, के उपबंधों के अनुसार कर लग सकेगा ।

अनुच्छेद - 18

पेंशन, वार्षिकी तथा अन्य इसी प्रकार के भुगतान

1. अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को उस के पिछले नियोजन के प्रतिफल के रूप में अदा की गई पेंशन और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में कर लग सकेगा ।

2. पैराग्राफ - 1 के उपबंधों के होते हुए भी और अनुच्छेद 19 के पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अध्यधीन, किसी संविदाकारी राज्य के सामाजिक सुरक्षा विधान के तहत अथवा समाज कल्याण के प्रयोजनों के लिए किसी संविदाकारी राज्य द्वारा आयोजित किसी सरकारी योजना के तहत प्रदान की गई पेंशन एवं अन्य लाभ चाहे वे आवधिक हो अथवा एकमुश्त क्षतिपूर्ति अथवा किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत किसी वार्षिकी पर केवल उसी राज्य में कर लगेगा ।

3. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त पद "वार्षिकी" से तात्पर्य उस निश्चित राशि से है जो किसी व्यक्ति को उस के जीवन के दौरान या निश्चित समय पर अवधिक रूप से देय हो अथवा धन के समान मूल्य में (दी गई सेवाओं से भिन्न) पर्याप्त एवं पूर्ण प्रतिफल हेतु बदले में की गई अदायगियां करने की बाध्यता के तहत विनिर्दिष्ट अथवा निश्चेय समयावधि के दौरान देय हो ।

अनुच्छेद - 19

सरकारी सेवा

1.(क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग, सांविधिक निकाय अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग, निकाय अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा किए गए पेंशन से भिन्न वेतन, मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य में ही कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि, ऐसे वेतन, मजदूरी और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लग सकेगा, यदि सेवाएं उस राज्य में प्रदान की जाती हैं, और व्यष्टि उस राज्य का एक निवासी हो, जो :

(i) उस राज्य का एक राष्ट्रिक हो ; अथवा

(ii) मात्र सेवाएं पेश करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य का निवासी नहीं बना हो ।

2.(क) किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अथवा उनके द्वारा सृजित निधियों में से किसी व्यष्टि को उस राज्य अथवा उप-प्रभाग, निकाय अथवा प्राधिकरण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में अदा की गई किसी पेंशन पर केवल उस राज्य में कर लग सकेगा ।

(ख) तथापि, ऐसी पेंशन पर केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में तभी कर लगेगा, यदि व्यष्टि उस संविदाकारी राज्य का निवासी तथा राष्ट्रिक हो ।

3. अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 के उपबंध किसी संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए गए किसी कारोबार के सिलसिले में प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त वेतनों, मजदूरियों और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 20

विद्यार्थी एवं प्रशिक्षु

1. कोई विद्यार्थी अथवा प्रशिक्षु या कारोबार, तकनीकी, कृषिक अथवा वानिकी प्रशिक्षु को जो एक संविदाकारी राज्य का दौरा करने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ प्रथमोल्लिखित राज्य में उपस्थित है, उसे उस के भरण-पोषण शिक्षा अथवा प्रशिक्षणर्थ के प्रयोजनार्थ की गई अदायगियों पर उस राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी अदायगियां उस राज्य के बाहर के स्रोतों से उद्भूत हुई हो ।

2. यदि कोई विद्यार्थी किसी संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्थान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षु या कारोबार, तकनीकी, कृषिक अथवा वानिकी प्रशिक्षु दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने से पहले तथमोल्लिखित राज्य का निवासी है अथवा था, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में अधिवक्षम 183 दिनों की लगातार अवधि से उपस्थित है, पर उस राज्य में प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में उस दूसरे राज्य में कर नहीं लगाया जाएगा, बशर्ते कि वह सेवाएं उस के अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के संबंध में हो और वह पारिश्रमिक उस के भरण पोषण के लिए ऐसे अर्जन को आवश्यक ठहराया हो ।

अनुच्छेद - 21

अन्य आय

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जहां-कहीं वे उद्भूत होती हों, जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, केवल उस राज्य में कराधेय होंगी ।

2. पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 में यथा-परिभाषित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय से भिन्न आय पर लागू नहीं होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे संविदाकारी राज्य में वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है अथवा उस दूसरे राज्य में वहां स्थित किसी निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं निष्पादित करता है, वह ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बद्ध है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध, जैसी भी स्थिति हो, लागू होंगे ।

3. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें, जिन पर इस करार के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में विचार नहीं किया गया है, और जो दूसरे संविदाकारी राज्य में उद्भूत होती हों, पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा ।

अनुच्छेद - 22

दोहरे कराधान का अपाकरण

1. अंतर्राष्ट्रीय दोहरे कराधान के संबंध में फिनीश कानून के उपबंधों के अध्यधीन (जो इसके सामान्य सिद्धान्त को प्रभावित नहीं करेंगे), फिनलैण्ड में दोहरे कराधान

का निम्नानुसार अपाकरण किया जाएगा :-

(क) जहां फिनलैण्ड का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता हो, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसरण में भारत में कर लगाया जा सकता है, वहां फिनलैण्ड उप-पैराग्राफ (ख) के उपबंधों के अध्यधीन भारतीय कानून के अंतर्गत तथा करार के अनुसरण में अदा किए गए भारतीय कर की राशि के समकक्ष, उस व्यक्ति की फिनिश कर से कटौती की अनुमति प्रदान करेगा, जो इस करार के अनुसार है और जो वैसी ही आय के संदर्भ में संगणित है जिस आय के संदर्भ में फिनिश कर को संगणित किया गया हो ।

(ख) किसी कंपनी द्वारा, जो भारत की एक निवासी है, किसी कंपनी को, जो फिनलैण्ड की एक निवासी है और जो लाभांश अदा कर रही कंपनी में प्रत्यक्ष रूप से कम से कम 10 प्रतिशत वोटिंग पॉवर को नियंत्रित करती है, अदा किए गए लाभांशों को फिनिश कर से छूट होगी ।

2. भारत में दोहरे कराधान का अपाकरण निम्नानुसार किया जाएगा :

जहां भारत का कोई निवासी ऐसी आय प्राप्त करता है, जिस पर इस करार के उपबंधों के अनुसार फिनलैण्ड में कर लगाया जा सकता है, उन मामलों में, भारत, उस निवासी की आय पर फिनलैण्ड में अदा किए गए कर के बराबर की राशि की कर से छूट के रूप में अनुमति प्रदान करेगा । तथापि, ऐसी कटौती कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जिसे छूट दिए जाने से पहले संगणित किया गया हो, जो उस आय पर आरोप्य हो, जैसा भी मामला हो, जिस पर फिनलैण्ड में कर लगाया जा सकता है ।

3. जहां एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा प्राप्त की गई आय, इस करार के किसी उपबंध के अनुसार उस संविदाकारी राज्य में कर से छूट प्राप्त होती है, वहां तिस पर भी वह राज्य ऐसे व्यक्ति की शेष आय पर कर की राशि की संगणना करते समय छूट प्रदत्त आय को ध्यान में रखेगा ।

अनुच्छेद - 23

सम-व्यवहार

1. एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे संविदाकारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और

तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर विशेषतः निवास के संबंध में उन्हीं परिस्थितियों में लागू होती हो अथवा लागू की जा सकती हो । अनुच्छेद 1 के उपबंधों के होते हुए भी यह उपबंध उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों के निवासी नहीं हैं ।

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित स्थायी संस्थापन पर उस दूसरे राज्य में ऐसा कोई कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के उद्यमों पर समरूप कार्यकलापों को करने हेतु लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हो । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के लिए यह बाध्यकर है कि वह दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासियों को, कराधान प्रयोजनों के लिए उनकी सिविल हैसियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए किसी प्रकार की ऐसी व्यक्तिगत छूट, राहत अथवा कटौतियों की मंजूरी दे जो वह अपने निवासियों को देता है । इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इससे दूसरे संविदाकारी राज्य की किसी कम्पनी के प्रथमोल्लिखित राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के लाभ पर कर की ऐसी दर लगाने से रोकना है जो कि कर की उस दर से अधिक है जो प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य की ऐसी ही कम्पनी के लाभों पर लगाई जाती है और न ही अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के उपबंधों के प्रतिकूल है ।

3. ऐसे मामले को छोड़कर जहां अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ 1, अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 7, अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 6 के उपबंध लागू होते हैं, एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा किये गए ब्याज, रायल्टी तथा अन्य भुगतान, ऐसे उद्यम के कराधेय लाभों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उन्हीं शर्तों के अनुसार कटौती-योग्य होंगे, मानो उनका भुगतान प्रथमोल्लिखित राज्य के किसी निवासी को अदा किया गया हो ।

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिसकी पूंजी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण या आंशिक रूप से दूसरे संविदाकारी राज्य के एक या अधिक निवासियों के स्वामित्व में हो या उनके द्वारा नियंत्रित की जाती हो, प्रथमोल्लिखित राज्य में कोई ऐसा कर नहीं लगाया जाएगा या तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की जाएगी जो उस कराधान से और तत्संबंधी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण है, जो प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य इसी प्रकार के उद्यमों पर लागू की जाती है या लागू की जा सकती है ।

5. इस अनुच्छेद के उपबंध, अनुच्छेद - 2 के उपबंधों के होते हुए भी, सभी प्रकार के करों पर लागू होंगे ।

अनुच्छेद - 24

पारस्परिक करार विधि

1. जहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा दोनों संविदाकारी राज्यों की कार्रवाईयों के कारण उस पर इस प्रकार कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो वह उन राज्यों के स्वदेशी कानूनों द्वारा उपलब्ध कराए गए उपायों के होते हुए भी अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह एक निवासी है अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 23 के पैराग्राफ 1 के अंतर्गत आता है तो वह अपना मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह राष्ट्रिक है । इस मामले को उस कार्रवाई की प्रथम अधिसूचना से तीन वर्षों के भीतर अवश्य प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप ऐसा कराधान लगाया गया है जो इस करार के उपबंधों के अनुरूप नहीं है ।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक हल पर पहुंचने में असमर्थ हो, तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि से जो इस करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा । इस प्रकार किए गए किसी करार को संविदाकारी राज्यों के स्वदेशी कानूनों में किन्हीं समय सीमाओं के होते हुए भी क्रियान्वित किया जाएगा ।

3. इस करार की व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं हों, तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । वे उन मामलों में भी दोहरे कराधान को दूर करने के लिए परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की गई हो ।

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पिछले पैराग्राफों के अभिप्राय से किसी करार पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ एक संयुक्त आयोग के माध्यम से जिसमें वह स्वयं अथवा उसके प्रतिनिधि शामिल हों, प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ पत्र-व्यवहार कर सकते हैं ।

अनुच्छेद - 25

सूचना का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के समक्ष प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों या उनके राजनीतिक उप-प्रभागों या उनके स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए हर एक प्रकार एवं किस्म के करों से संबंधित आंतरिक कानूनों के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है । सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है ।

2. किसी संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ - 1 के अतंर्गत प्राप्त की गई किसी सूचना को उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझा जाएगा और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिसमें न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हों) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ - 1 में संदर्भित करों के संबंध में करों का निर्धारण करने या उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्त्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने, उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हों । ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे । वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे ।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा :

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानून और प्रशासनिक प्रथा से हट कर प्रशासनिक उपाय करना ;

(ख) ऐसी सूचना उपलब्ध कराना, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है ;

(ग) ऐसी सूचना उपलब्ध कराना, जो किसी व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना

को प्रकट करेगा, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल होगा (आर्डर पब्लिक) ।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी सूचना को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोधित सूचना को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग कर सकता है । चाहे उस दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो । पिछले वाक्य में अन्तर्निहित बाध्यता पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नही होगा कि कोई संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना सप्लाई करने से मना कर सकते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है ।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी संविदाकारी राज्य को सिर्फ इसलिए सूचना की सप्लाई न करने की अनुमति देता हो कि यह सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, नामिती अथवा किसी एजेंसी में कार्य कर रहे व्यक्ति अथवा किसी न्यासी क्षमता के पास है अथवा इसलिए कि यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले हित से संबंधित है ।

अनुच्छेद - 26

करों की वसूली में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता करेंगे । यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि को परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं ।

2. इस अनुच्छेद में यथा -प्रयुक्त शब्द ' राजस्व दावा' का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों की ओर से लगाए गए सभी किस्म और विवरण के करों से है, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान, इस करार अथवा किसी ऐसे अन्य साधन के प्रतिकूल न हों जिसके लिए संविदाकारी राज्य ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक अर्थ-दंड और वसूली लागत अथवा संरक्षण के भागीदार हों ।

3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो उस समय उस राज्य के

कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा । उस राजस्व दावे को उस दूसरे राज्य द्वारा उसके अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा इस प्रकार वसूल किया जाएगा मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था ।

4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा हो जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा । वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यद्यपि, जब ऐसे उपायों को लागू किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं होता है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय होता है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है ।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के उपबंधों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यधीन नहीं होगा अथवा इसके राजस्व दावे के समान स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के लिए अनुप्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के अनुप्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी ।

6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को केवल उस राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष लाया जाएगा । इस अनुच्छेद में किसी भी बात का अर्थ दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय अथवा प्रशासनिक निकाय के समक्ष ऐसी कार्यवाहियों के लिए किसी अधिकार का सृजन करना अथवा प्रदान करना नहीं लगाया जाएगा ।

7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी भी समय किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के बाद और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्रथमोल्लिखित राज्य के संबद्ध राजस्व दावे को संग्रहित करके प्रेषित किए जाने से पहले संगत राजस्व दावा निम्नलिखित मामलों में नहीं होगा :

क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा, जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता ; अथवा

ख) पैराग्राफ 4 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जिसके संबंध में वह राज्य अपने कानूनों के तहत इसकी वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संरक्षण के उपाय करता है ।

प्रथमोल्लिखित राज्य का सक्षम प्राधिकारी उस तथ्य के बारे में दूसरे राज्य के सक्षम प्राधिकारी को तत्काल अधिसूचित करेगा और दूसरे राज्य के विकल्प पर प्रथमोल्लिखित राज्य अपने अनुरोध को या तो आस्थगित करेगा या फिर वापस ले लेगा ।

8. इस अनुच्छेद के उपबंधों का किसी भी स्थिति में यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित बाध्यताएं लागू की जाएं :

क) उस संविदाकारी राज्य अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से विसंगत प्रशासनिक उपाय करना ;

ख) ऐसे उपाय करना जो सार्वजनिक नीति (आर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल हों ;

ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों का अनुपालन न किया हो ;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से उसके अनुपात में न हों ।

अनुच्छेद - 27

लाभों का परिसीमन

1. कोई व्यक्ति, जो किसी संविदाकारी राज्य का एक निवासी है तथा दूसरे संविदाकारी राज्य से आय प्राप्त करता है, वह करभार से राहत पाने के लिए पात्र नहीं होगा, जिसकी अन्यथा इस करार में व्यवस्था की गई है यदि यह इस करार के उपबंधों का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐसी मदों के सृजन अथवा आबंटन से संबंधित किसी व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन अथवा मुख्य प्रयोजनों में से एक था ।

2. पैराग्राफ 1 के अंतर्गत कोई निर्धारण करने में उपयुक्त सक्षम प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण अन्य कारकों के साथ में से एवं आय की राशि के स्वरूप, ऐसी परिस्थितियां जिनमें आय प्राप्त की गई थी, संव्यवहार हेतु पार्टियों की कथित धारणा और उस व्यक्ति की

पहचान एवं निवास के बारे में विचार करने के लिए पात्र होंगे, जो कानूनी रूप से अथवा वास्तव में, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित को नियंत्रित करते हों अथवा (i) आय के हितभागी स्वामी हो, अथवा (ii) उन व्यक्तियों को जो संविदाकारी राज्य (यों) के निवासी हों और जो ऐसी आय की अदायगी अथवा उसकी प्राप्ति से संबंधित हों ।

अनुच्छेद - 28

राजनयिक मिशन के सदस्य एवं कौंसुली पद

इस करार की किसी भी बात से अन्तरराष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत राजनयिक मिशन अथवा कौंसूली अधिकारियों के सदस्यों के वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुच्छेद - 29

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी राज्य, इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के संबंध में राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक - दूसरे को अधिसूचित करेंगे ।

2. यह करार, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित परवर्ती अधिसूचनाओं की तारीख के तीस दिनों के बाद लागू होगा और इसके उपबंधों का निम्नलिखित प्रभाव होगा :-

(क) फिनलैण्ड में ;

(i) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिस वर्ष में करार होता है, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद प्राप्त की गई आय पर स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ;

(ii) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए प्रभार्य करों हेतु आय पर अन्य करों के संबंध में ;

ख) भारत में,

(i) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष में, जिस वर्ष में करार प्रवृत्त होता है, के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद क्रेडिट किए गए अथवा अदा किए गए राशियों के लिए स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ;

(ii) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिस वर्ष में करार लागू होता है के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में ।

3. आय एवं पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार के लिए भारत गणराज्य और फिनलैण्ड गणराज्य के बीच, 10 जून, 1983 को हेलसिंकी में हस्ताक्षरित, जो 9 अप्रैल, 1997 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित प्रोतोकॉल द्वारा संशोधित है (जिसे इसके बाद "करार 1983" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) करार का उन करों के संबंध में प्रभाव समाप्त हो जाएगा जिस पर पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अनुसार यह करार लागू होता है । करार 1983, उस अंतिम तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस तारीख को यह इस पैराग्राफ के पूर्ववर्ती उपबंध के अनुसार लागू हुआ है ।

अनुच्छेद - 30

समापन

यह करार उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा इसे समाप्त नहीं कर दिया जाता । दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक माध्यमों से, करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के बाद उत्तरवर्ती किसी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति से कम से कम छह महीने पहले समापन का नोटिस देकर करार को समाप्त कर सकता है । ऐसी स्थिति में, करार का निम्न के संबंध में प्रभाव समाप्त हो जाएगा :

(क) फिनलैण्ड में ;

(i) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद वित्तीय आय पर स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ;

(ii) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, में जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी कर वर्ष के लिए प्रभार्य करों के लिए आय पर अन्य करों के संबंध में ;

(ख) भारत में :

(i) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद अदा किए गए अथवा क्रेडिट किए गए राशियों के लिए स्रोत पर काटे गए करों के संबंध में ;

(ii) उस कैलेण्डर वर्ष के अगले अनुवर्ती वर्ष, जिसमें नोटिस दिया जाता है, के अप्रैल माह के प्रथम दिन को अथवा उसके बाद आरम्भ होने वाले किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय पर करों के संबंध में ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार दस के जनवरी माह के पन्द्रहवें दिन हिन्दी, फिनिश, स्वीडिश एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया जाएगा, सभी चार पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

(एस.एस.एन.मूर्ति)
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

फिनलैण्ड गणराज्य की सरकार की ओर से

(तेरही हकाला)
भारत में फिनलैण्ड की राजदूत

प्रोतोकोल

आय पर करों के
संबंध में दोहरे कराधान के
परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए
भारत गणराज्य और फिनलैण्ड गणराज्य के बीच करार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार एवं वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य और फिनलैण्ड गणराज्य के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय अधोहस्ताक्षरी इस बात पर सहमत हुए हैं कि निम्नलिखित उपबंध करार के अभिन्न अंग के रूप में होंगे :-

I. अनुच्छेद 5 और 6 के संदर्भ में

फिनिश कराधान कानून के अंतर्गत कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय को, अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय के रूप में समझा गया है । तद्नुसार, फिनलैण्ड में क्रियान्वित कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय को फिनलैण्ड के मामले में इस करार के प्रयोजनार्थ करार के अनुच्छेद 6 में उल्लिखित अचल सम्पत्ति से प्राप्त आय के रूप में समझा जाएगा ।

II. अनुच्छेद 10, 11 और 12 के संदर्भ में :-

यह सम्मत है कि यदि इस करार को लागू करने के बाद, भारत और आर्थिक सहयोग एवं विकास हेतु संगठन के सदस्य राज्य के बीच कोई करार अथवा अभिसमय व्यवस्था प्रदान करता है कि भारत, भारत में उद्भूत होने वाले लाभों, ब्याज, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं हेतु फीस (जो या तो सामान्य रूप से या फिर लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की विशिष्ट वर्गों के संबंध में हो) कर से छुट देगा अथवा ऐसे लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर भारत में प्रभारित कर को (जो सामान्य रूप से या फिर लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की विशिष्ट वर्गों के संबंध में) उस दर से निम्नतर दर पर सीमित करने की छूट होगी जिनका करार के अथवा अनुच्छेद 10 के पैराग्राफ 2 में अथवा अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 अथवा अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 में प्रावधान है, इस तरह की छूट अथवा न्यून दर लाभांशों, ब्याज, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर अनुप्रयोज्य होगी (जो सामान्य रूप से या फिर लाभांशों, ब्याज, रायल्टियों अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की विशिष्ट वर्गों के संबंध में), जो भारत में उद्भूत होती हो और फिनलैण्ड के किसी निवासी के हितभागी स्वामित्व में हो तथा लाभांश ब्याज, रायल्टी अथवा तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो फिनलैण्ड में उद्भूत होती हो और उन्हीं शर्तों के अंतर्गत भारत में किसी निवासी के हितभागी स्वामित्व में हो, मानो कि ऐसी छूट अथवा न्यून दर को उन पैराग्राफों में विनिर्दिष्ट किया गया था । भारत का सक्षम प्राधिकारी, फिनलैण्ड के सक्षम प्राधिकारी को बिना विलम्ब के यह सूचित करेगा कि इस पैराग्राफ के अनुप्रयोजन हेतु शर्तों को पूरा कर लिया गया है और ऐसी छूट अथवा न्यून दर के अनुप्रयोजन हेतु इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है ।

III. सभी पाठों के संदर्भ में यह समझा जाता है कि इस करार में प्रयुक्त "सांविधिक निकाय" पद का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत सृजित एक पब्लिक कैरेक्टर की कोई विधिक सत्ता से है, जिसमें स्वयं राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति अथवा उसके किसी स्थानीय प्राधिकारी का हित न हो ।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं ।

नई दिल्ली में वर्ष दो हजार दस के जनवरी माह के पन्द्रहवें दिन हिन्दी, फिनिश, स्वीडिश एवं अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया जाएगा, सभी चार पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं । अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा ।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

(एस.एस.एन.मूर्ति)
अध्यक्ष
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

फिनलैण्ड गणराज्य की
सरकार की ओर से

(तेरही हकाला)
भारत में फिनलैण्ड की राजदूत

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010

(INCOME-TAX)

S.O. 1207(E).—Whereas, an Agreement and the Protocol between the Government of Republic of India and the Government of the Republic of Finland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income was signed at New Delhi on the 15th day of January, 2010;

And, whereas, the date of entry into force of the said Agreement is the 19th day of April, 2010, being thirty days after the date of later of the notifications of completion of the procedures as required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 29 of the said Agreement;

And, whereas, sub-paragraph (b) of paragraph 2 of Article 29 of the said Agreement provides that the provisions of the said Agreement shall have effect in India in respect of the taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force; and in respect of taxes on income, for any fiscal year beginning on or after 1 April of the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement and the Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India with effect from 1st day of April 2011.

[Notification No. 36/2010/F. No. 501/13/1980-FTD-I]

SANJAY KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

ANNEXURE

AGREEMENT

between

The Republic of India

And

The Republic of Finland

for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of India,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and with a view to promoting economic co-operation between the two countries,

Have agreed as follows:

Article 1

Persons covered

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes covered

1. This Agreement shall apply to taxes on income imposed on behalf of a Contracting State or of its political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property and taxes on the total amounts of wages or salaries paid by enterprises.

3. The existing taxes to which the Agreement shall apply are:

a) in Finland:

(i) the state income taxes (valtion tuloverot; de statliga inkomstskatterna);

(ii) the corporate income tax (yhteisöjen tulovero; inkomstskatten för samfund);

(iii) the communal tax (kunnallisvero; kommunalskatten);

(iv) the church tax (kirkollisvero; kyrkoskatten);

(v) the tax withheld at source from interest (korkotulon lähdevero; källskatten på ränteinkomst); and

(vi) the tax withheld at source from non-residents' income (rajoitetusti verovelvollisen lähdevero; källskatten för begränsat skattskyldig);
(hereinafter referred to as "Finnish tax"),

b) in India, the income tax, including any surcharge thereon;
(hereinafter referred to as " Indian tax").

4. The Agreement shall apply also to any identical or substantially similar taxes that are imposed after the date of signature of the Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes that have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "Finland" means the Republic of Finland and, when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of Finland, and any area adjacent to the territorial waters of the Republic of Finland within which, under the laws of Finland and in accordance with international law, the rights of Finland with respect to the exploration for and exploitation of the natural resources of the sea bed and its sub-soil and of the superjacent waters may be exercised;

b) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

c) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting States;

d) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

e) the term "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean the Republic of Finland and the Republic of India as the context requires;

f) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

g) the term "national", in relation to a Contracting State, means:

(i) any individual possessing the nationality of that Contracting State; and

(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in that Contracting State;

h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

i) the term "competent authority" means:

(i) in Finland, the Ministry of Finance, its authorised representative or the authority which, by the Ministry of Finance, is designated as competent authority;

(ii) in India, the Finance Minister, Government of India, or his authorised representative;

j) the term "tax" means Finnish or Indian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty or fine imposed relating to those taxes;

k) the term "fiscal year" means:

i) in Finland, the "tax year" as defined in the taxation laws of Finland relating to income tax;

ii) In India, the financial year beginning on the 1st day of April.

2. As regards the application of the Agreement at any time by a Contracting State any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Agreement applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under other laws of that State.

Article 4

Residence

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the laws of that State, is liable to tax therein by reason of his domicile, residence, place of management, place of incorporation (registration) or any other criterion of a similar nature, and also includes that State and any political subdivision, statutory body or local authority thereof. This term, however, does not include any person who is liable to tax in that State in respect only of income from sources in that State.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

a) he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has a permanent home available to him; if he has a permanent home available to him in both States, he shall be deemed to be a resident only of the State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interests);

b) if the State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he has not a permanent home available to him in either State, he shall be deemed to be a resident only of the State in which he has an habitual abode;

c) if he has an habitual abode in both States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident only of the State of which he is a national;

d) if he is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour to settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 of this Article, a person other than an individual is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall determine by mutual agreement the State of which the person shall be deemed to be a resident for the purposes of this Agreement having regard to the person's place of incorporation, the place of effective management and any other relevant factors.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" includes especially:

a) a place of management;

b) a branch;

c) an office;

d) a factory;

e) a workshop;

f) a sales outlet;

g) a warehouse in relation to a person providing storage facilities for others;

h) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on; and

i) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural resources.

3. The term 'permanent establishment' likewise encompasses:

a) A building site or construction, installation or assembly project or supervisory activities in connection therewith only if such site, project or activities last more than six months.

b) The furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same or connected project) within the country for a period or periods aggregating more than 183 days within any 12-month period.

4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term "permanent establishment" shall be deemed not to include:

a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;

b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;

c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;

e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character;

f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e), provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - is acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in the first-mentioned Contracting State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, if such a person:

a) has and habitually exercises in that State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph; or

b) has no such authority, but habitually maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise;

c) habitually secures orders in the first-mentioned State, wholly or almost wholly for the enterprise itself.

6. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies.

7. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he will not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.

8. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. The term "immovable property" shall have the meaning which it has under the law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources; ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. Where the ownership of shares or other corporate rights in a company entitles the owner of such shares or corporate rights to the enjoyment of immovable property held by the company, the income from the direct use, letting, or use in any other form of such right to enjoyment may be taxed in the Contracting State in which the immovable property is situated.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.

Article 7

Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a

permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In determining the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment, including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, in accordance with the provisions of and subject to the limitations of the tax laws of that State. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of banking enterprises, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents, know-how or other rights, or by way of commission or other charges for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.

4. Insofar as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 2 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles contained in this Article.

5. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

6. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

7. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Agreement, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.

2. If the place of effective management of a shipping enterprise is aboard a ship, then it shall be deemed to be situated in the Contracting State in which the home harbor of the ship is situated, or, if there is no such home harbor, in the Contracting State of which the operator of the ship is a resident.

3. Profits of an enterprise of a Contracting State from the use, maintenance or rental of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise in international traffic shall be taxable only in that State, except where such containers are used for the transport of goods or merchandise solely between places within the other Contracting State.

4. For the purposes of this Article interest on funds directly connected with the operation of ships or aircraft in international traffic shall be regarded as profits derived from the operation of such ships or aircraft if they are integral to the carrying on of such business, and the provisions of Article 11 shall not apply in relation to such interest.

5. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

1. Where

a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State - and taxes accordingly - profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits, where that other State considers the adjustment justified. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Agreement and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment or a fixed base situated in that other State, nor subject the company's undistributed profits to a tax on the company's undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2,

a) interest arising in India shall be taxable only in Finland if the interest is paid to:

(i) the State of Finland, or a local authority or a statutory body thereof;

(ii) the Finnish Fund for Industrial Co operation (FINNFUND), Finnish Export Credit or the FINNVERA, which are wholly or mainly owned by the State of Finland or any other institution, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

b) interest arising in Finland shall be taxable only in India if the interest is paid to:

(i) the Government of India, or a political subdivision, or a local authority or a statutory body thereof;

(ii) the Reserve Bank of India, the Export-Import Bank of India or the National Housing Bank, which are wholly or mainly owned by the Government of India or any other institution, as may be agreed from time to time between the competent authorities of the Contracting States;

c) interest arising in a Contracting State on a loan guaranteed by any of the bodies mentioned or referred to in sub paragraph a) or sub paragraph b) and paid to a resident of the other Contracting State shall be taxable only in that other State.

4. The term "interest" as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in the debtor's profits, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article.

5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment or fixed base, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties and fees for technical services

1. Royalties or fees for technical services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties or fees for technical services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties or fees for technical services.

3. a) The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films, and films or tapes for television or radio broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.

b) The term "fees for technical services" as used in this Article means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Agreement as consideration for managerial or technical or consultancy services, including the provision of services of technical or other personnel.

4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the royalties or fees for technical services, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties or fees for technical services arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties or fees for technical services are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

5. Royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority, or a resident of that State. Where, however, the right or property for which the royalties are paid is used within a Contracting State or the fees for technical services relate to services performed, within a Contracting State, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the right or property is used or the services are performed. Where, however, the person paying the royalties or fees for technical services, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment or a fixed base in connection with which the liability to pay the royalties or fees for technical services was incurred, and such royalties or fees for technical services are borne by such permanent establishment or fixed base, then such royalties or fees for technical services shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment or fixed base is situated.

6. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital gains

1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property referred to in paragraph 2 of Article 6 and situated in the other Contracting State or shares in a company the assets of which consist mainly of such property may be taxed in that other State.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing independent personal services, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other State.

3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.

4. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of containers (including trailers, barges and related equipment for the transport of containers) used for the transport of goods or merchandise shall be taxable only in that State, except where such containers are used for the transport of goods or merchandise solely between places within the other Contracting State.

5. Gains from the alienation of shares other than those mentioned in paragraph 1 in a company which is a resident of a Contracting State may be taxed in that State.

6. Gains from the alienation of any property other than that referred to in the preceding paragraphs of this Article, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.

Article 14

Independent personal services

1. Income derived by an individual who is a resident of a Contracting State from the performance of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State except in the following circumstances when such income may also be taxed in the other Contracting State:

a) if he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities; in that case, only so much of the income as is attributable to that fixed base may be taxed in that other State; or

b) if his stay in the other Contracting State is for a period or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days in any period of 12 months commencing or ending in the fiscal year concerned; in that case, only so much of the income as is derived from his activities performed in that other State may be taxed in that other State.

2. The term "professional services" includes especially independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 15

Dependent personal services

1. Subject to the provisions of Articles 16, 18, 19, and 20 salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an em-

ployment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days within any twelve-month period commencing or ending in the fiscal year concerned, and

b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and

c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or a fixed base which the employer has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that State.

Article 16

Directors' fees

Directors' fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors or any other similar organ of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 17

Artistes and sportspersons

1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television

artiste, or a musician, or as a sportsperson, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.

2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in his capacity as such accrues not to the entertainer or sportsperson himself but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to income derived from activities exercised in a Contracting State by an entertainer or a sportsperson if the visit to that State is wholly or mainly supported by public funds of the other Contracting State or a political sub-division or a local authority thereof. In such case, the income shall be taxable in accordance with the provisions of Article 7 or Article 14 or Article 15, as the case may be.

Article 18

Pensions, annuities and similar payments

1. Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration in consideration of past employment paid to a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, and subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions paid and other benefits, whether periodic or lump-sum compensation, awarded under the social security legislation of a Contracting State or under any public scheme organised by a Contracting State for social welfare purposes, or any annuity arising in a Contracting State, may be taxed in that State.

3. The term "annuity" as used in this Article means a stated sum payable periodically to an individual at stated times during his life, or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth (other than services rendered).

Article 19

Government service

1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision, a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, body or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such salaries, wages and other similar remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.

2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political subdivision, a statutory body or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision, body or authority shall be taxable only in that State.

b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State.

3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to salaries, wages and other similar remuneration, and to pensions, in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision, a statutory body or a local authority thereof.

Article 20

Students and trainees

1. Payments which a student, or an apprentice or business, technical, agricultural or forestry trainee, who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the

purpose of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that State, provided that such payments arise from sources outside that State.

2. A student at a university or other institution for higher education in a Contracting State, or an apprentice or business, technical, agricultural or forestry trainee, who is or was immediately before visiting the other Contracting State a resident of the first-mentioned State and who is present in the other Contracting State for a continuous period not exceeding 183 days, shall not be taxed in that other State in respect of remuneration for services rendered in that State, provided that the services are in connection with his studies or training and the remuneration constitutes earnings necessary for his maintenance.

Article 21

Other Income

1. Items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement shall be taxable only in that State.

2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income, other than income from immovable property as defined in paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the income is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, items of income of a resident of a Contracting State not dealt with in the foregoing Articles of this Agreement and arising in the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 22

Elimination of double taxation

1. Subject to the provisions of Finnish law regarding the elimination of international double taxation (which shall not affect the general principle hereof), double taxation shall be eliminated in Finland as follows:

a) Where a resident of Finland derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in India, Finland shall, subject to the provisions of sub-paragraph b), allow as a deduction from the Finnish tax of that person, an amount equal to the Indian tax paid under Indian law and in accordance with the Agreement, as computed by reference to the same income by reference to which the Finnish tax is computed.

b) Dividends paid by a company being a resident of India to a company which is a resident of Finland and which controls directly at least 10 per cent of the voting power in the company paying the dividends shall be exempt from Finnish tax.

2. In India double taxation shall be eliminated as follows:

Where a resident of India derives income which, in accordance with the provisions of this Agreement, may be taxed in Finland, India shall allow as a deduction from the tax on the income of that resident, an amount equal to the tax paid in Finland. Such deduction shall not, however, exceed that portion of the tax as computed before the deduction is given, which is attributable, as the case may be, to the income which may be taxed in Finland.

3. Where in accordance with any provision of the Agreement income derived by a resident of a Contracting State is exempt from tax in that Contracting State, that State may nevertheless, in calculating the amount of tax on the remaining income of such person, take into account the exempted income.

Article 23

Non-discrimination

1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith, which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to persons who are not residents of one or both of the Contracting States.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. This provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents. This provision shall not be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7.

3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of the first-mentioned State are or may be subjected.

5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and description.

Article 24

Mutual agreement procedure

1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with the provisions of this Agreement, he may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23, to that of the Contracting State of which he is a national. The case must be presented within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Agreement.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation which is not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic law of the Contracting States.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly, including through a joint commission consisting of themselves or their representatives, for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 25

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or of their local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic law of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to, the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.

3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the law and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to supply information which is not obtainable by the competent authority under the law or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State

to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.

5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.

Article 26

Assistance in the collection of taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.

2. The term "revenue claim" as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Agreement or any other instrument to which the Contracting States are parties, as well as interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.

3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.

4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a

revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or the amount of a revenue claim of a Contracting State shall only be brought before the courts or administrative bodies of that State. Nothing in this Article shall be construed as creating or providing any right to such proceedings before any court or administrative body of the other Contracting State.

7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be:

a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or

b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection,

the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.

8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;

b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);

c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;

d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.

Article 27

Limitation of benefits

1. A person that is a resident of a Contracting State and derives income from the other Contracting State shall not be entitled to relief from taxation otherwise provided for in this Agreement if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of such items of income to take advantage of the provisions of this Agreement.

2. In making a determination under paragraph 1, the appropriate competent authority or authorities shall be entitled to consider, among other factors, the amount and nature of the income, circumstances in which the income was derived, the stated intention of the parties to the transaction, and the identity and residence of the persons who in law or in fact, directly or indirectly, control or beneficially own (i) the income or (ii) the persons who are resident(s) of the Contracting State(s) and who are concerned with the payment or receipt of such income.

Article 28

Members of diplomatic missions and consular posts

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 29

Entry into force

1. The Contracting States shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force thirty days after the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect:

a) in Finland:

(i) in respect of taxes withheld at source, on income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of other taxes on income for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the Agreement enters into force;

b) in India:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force;

(ii) in respect of taxes on income, for any fiscal year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the Agreement enters into force.

3. The Agreement between the Republic of Finland and the Republic of India for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital, signed at Helsinki on 10th June 1983, as modified by the Protocol signed at New Delhi on 9th April 1997 (hereinafter referred to as "the 1983 Agreement"), shall cease to have effect with respect to taxes to which this Agreement applies in accordance with the provisions of

paragraph 2. The 1983 Agreement shall terminate on the last date on which it has effect in accordance with the foregoing provision of this paragraph.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force until terminated by a Contracting State. Either Contracting State may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year following after the period of five years from the date on which the Agreement enters into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

a) in Finland:

(i) in respect of taxes withheld at source on income derived on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

(ii) in respect of other taxes on income for taxes chargeable for any tax year beginning on or after 1st January in the calendar year next following the year in which the notice is given;

b) in India:

(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after 1st April of the calendar year next following that in which the notice is given;

(ii) in respect of taxes on income, for any fiscal year beginning on or after 1st April of the calendar year next following that in which the notice is given.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto, have signed this Agreement.

Done in duplicate at NEW DELHI this 15TH day of January 2010, in the Finnish, Swedish, Hindi and English languages, all four texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India:

(S.S.N. MOORTHY)
CHAIRMAN
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

For the Government of the Republic of Finland:

(TERHI HAKALA)
AMBASSADOR OF FINLAND
TO INDIA

PROTOCOL

to the

Agreement
between
The Republic of India
and
The Republic of Finland

for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion
With respect to taxes on income

At the moment of signing of the Agreement between the Republic of Finland and the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement:

I. ad Articles 5 and 6

Under Finnish taxation law income from agriculture or forestry is treated as income from immovable property. Accordingly, income from agriculture or forestry carried on in Finland shall, in the case of Finland, for the purposes of the Agreement be treated as income from immovable property referred to in Article 6 of the Agreement.

II. ad Articles 10, 11 and 12

It is agreed that if after coming into force of this Agreement, any agreement or convention between India and a Member State of the Organisation for Economic Cooperation and Development provides that India shall exempt from tax dividends, interest, royalties or fees for technical services (either generally or in respect of specific categories of dividends, interest, royalties or fees for technical services) arising in India, or limit the tax charged in India on such dividends, interest, royalties or fees for technical services (either generally or in respect of specific categories of dividends, interest, royalties or fees for technical services) to a rate lower than that provided for in paragraph 2 of Article 10 or paragraph 2 of Article 11 or paragraph 2 of Article 12 of the Agreement, such exemption or lower rate shall be made applicable to the dividends, interest, royalties or fees for technical services (either generally or in respect of those specific categories of dividends, interest, royalties or fees for technical services) arising in India and beneficially owned by a resident of Finland and dividend,

interest, royalties or fees for technical services arising in Finland and beneficially owned by a resident of India under the same conditions as if such exemption or lower rate had been specified in those paragraphs. The competent authority of India shall inform the competent authority of Finland without delay that the conditions for the application of this paragraph have been met and issue a notification to this effect for application of such exemption or lower rate.

With reference to the all text it is understood that the term "statutory body" used in this Agreement means any legal entity of a public character created by the laws of a Contracting State in which no person other than the State itself, or a local authority thereof, has an interest.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Protocol.

Done in duplicate at NEW DELHI this 15TH day of January 2010, in the Finnish, Swedish, Hindi and English languages, all four texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Republic of India:

(S.S.N. MOORTHY)
CHAIRMAN
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

For the Government of
the Republic of Finland:

(TERHI HAKALA)
AMBASSADOR OF FINLAND
TO INDIA

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.